बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

वि.सं. 05/2015, बेसिक ग्रेड के दंत चिकित्सक के अधीन Civil Appeal No. 9482/2019 (Arising out of Special Leave Petition (civil) No. 12245/2017) डॉ. (मेजर) मीता सहाय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.12.2019 को पारित न्यायादेश से आच्छादित/प्रभावित 07 उम्मीदवारों का अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमः–

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा के बेसिक ग्रेड के दंत चिकित्सक (वि.सं. 05/2015) के अधीन Civil Appeal No. 9482/2019 (Arising out of Special Leave Petition (civil) No. 12245/2017) डॉ. (मेजर) मीता सहाय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक– 17.12.2019 को पारित न्यायादेश से आच्छादित/प्रभावित 07 उम्मीदवारों का विस्तृत अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम एवं निदेश निम्न प्रकार है:–

दिनांक एवं दिन	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
दिनांक 19.01.2024, शुक्रवार, (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	501022, 501136, 501711, 502539, 503302, 504857, 505322

02. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। चूँकि उपर्युक्त वर्णित उम्मीदवार पूर्व में सम्पन्न साक्षात्कार में सम्मिलित हो चुके हैं अतः वे पूर्व में आयोजित साक्षात्कार हेतु उनको निर्गत साक्षात्कार पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेगे।

03. पूर्व में आयोजित साक्षात्कार में उपरोक्त वर्णित उम्मीदवार द्वारा योग्यता एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों इत्यादि को समर्पित कर मूल से मिलान कराया जा चुका है। अतः वे पुनः निम्नलिखित प्रमाण–पत्र मूल में अनिवार्य रूप से एवं कतिपय प्रमाण पत्रों की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित रहेंगेः–

- (i) जन्म तिथि के साक्ष्य (Proof of Date of Birth) हेतु मैट्रिक का मूल प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- (ii) बी.डी.एस. के सभी सत्रों के उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण परीक्षाओं के अलग–अलग मूल अंक पत्र।
- (iii) बी.डी.एस. उत्तीर्णता से सम्बन्धित Attempt Certificate जो कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्गत हो, कि मूल प्रति।
- (iv) बी.डी.एस. उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
- (v) स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री का मूल प्रमाण पत्र।
- (vi) स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री का मूल अंक पत्र।
- (vii) बिहार राज्य की परिसीमा में अवस्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों, शहरी निकायों/पंचायत राज्य संस्थाओं/अन्य सार्वजनिक प्राधिकार से संचालित Non-Private Hospitals में कार्य करने संबंधी दिनांक– 05.06.2015 तक कार्यानुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो छायाप्रति (दावा किये गये अनुभव प्रमाण पत्र से सम्बन्धित नियुक्ति पत्र/प्रोन्नति पत्र एवं योगदान पत्र की मूल प्रति एवं दो छायाप्रति भी समर्पित करना अनिवार्य होगा)।
- (viii) बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 अथवा डेन्टिस्ट एक्ट, 1948 में निहित प्रावधान के तहत सक्षम प्राधिकार से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- (ix) निबंधन प्रमाण पत्र की अद्यतन पर्ची (Renewal Receipt) की मूल प्रति एवं दो छायाप्रति।
- (x) अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
- (xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- (xii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- (xiii) निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
- (xiv) पहचान पत्र (फोटोयुक्त) की मूल प्रति एवं दो छायाप्रति।
- (xv) पूर्व में निर्गत साक्षात्कार पत्र की छायाप्रति

04. योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन भरने करने की अंतिम तिथि 05.06.2015 तक निर्गत होना चाहिए।

05. उम्मीदवार वांछित प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति एवं उसकी दो छायाप्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो इसके लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।

06. दस्तावेज सत्यापन के दिन बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

07. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त दस्तावेज सत्यापन के दिन कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को उक्त कार्य हेतु निर्धारित समय से 1½ घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

08. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

09. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

10/01/24

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना